शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

भारत में बढ़ते बाल अपराध की समस्याऐं

प्राप्तिः 04.06.2022
स्वीकृतः 10.06.2022

51

डॉ० प्रमिला रानी
प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग
इस्माईल गर्ल्स नेशनल इण्टर कॉलिज
शास्त्री नगर, मेरठ (उ०प्र०)
ईमेलः *drpramilar@gmail.com*

सारांश

बाल–अपराध किशोर तथा वयस्क अपराध को प्रशस्त प्रवेश द्वारा है यही वह आपराधिक सोपान है जहां व्यक्ति आपराधिक का प्रथम पाठ पढ़ता है। अपराध करना सीखता हैं तथा आपराधिक कृत्य करने में दक्षता हासिल करता हैं। किशोरावस्था में जब शारीरिक बल और जोश अपनी चरम सीमा पर होते हैं। परन्तु विवेक इनके संयुक्त प्रभाव पर नियन्त्रण रखने के लिए परिपक्व वयस्क या अवयस्क बालक, किशोर, युवा, वृद्ध आदि का कोई भेद नहीं किया जाता था तथा सभी को समान रूप से दण्डित किये जाने की प्रथा प्रचलित थी। इसलिए उस समय बाल अथवा किशोर अपराधियों को दण्डित करते समय उनके प्रति उदारता बरतने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधारात्मक दण्ड पद्धति के आने के साथ दण्डशास्त्रियों का ध्यान किशोर अपराधियों की ओर आकृष्ट हुआ और यह अनुभव किया कि उनके साथ सुधार एवं साहनुभूति पूर्ण नीति अपनायी जानी चाहिए। बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती हैं लेकिन बाल–अपराध के आँकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते है इसका कारण है सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नामक संस्था का कमजोर पड़ना, बढ़ती व्यावसायिकता और कमजोर कानून, एक ओर जहाँ हमारा देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब सम्बन्ध मायने नहीं रखते, रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती जा रही है संयुक्त परिवार की परम्परा अब इतिहास की चीज बनजी जा रही है। हम दो हमारे दो के इस दौर में माता–पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है, उनका सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगा रहता है पैसे की इस धमा चौकड़ी के चलते उपजा अकेलापन बच्चों को निराशा की ओर ले जाता है हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता–पिता बच्चों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है सही–गलत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाते है कई बार अपराधियों को नायक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है बच्चे इससे प्रभावित होकर उनकी नकल करने की कोशिश करते है और अपराधी बनकर रह जाते है।

मुख्य बिन्दु

बाल अपराध, पारिवारिक वातावरण, लूटमार, सेंधमार, हत्याएं एवं डकैती।

प्रस्तावना

बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती है। लेकिन बाल अपराध के उक्त आँकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराश और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका कारण सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नाम संस्था का कमजोर पड़ना, बढ़ती व्यवसायिकता और कमजोर कानून। बाल अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं। भारतीय कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार अगर कोई बच्चा कानून के खिलाफ चला जाता हे तो आम आरोपियों की तरह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने अथवा अपराधियों की तरह जेल या फाँसी नहीं बल्कि बाल गृहों में सुध ाार के लिए भेजा जायेगा। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं, इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधियों को दंड नहीं, बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें सुधार–गृह में रखा जाता है, जहां उनकी दूषित हो चूँकि मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किया जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है।

भारत में बाल अपराध

भारत में नाबालिकों में अपराध की प्रवृति बढ़ती जा रही है। बाल मन पर अपराध ने कब्जा जमा लिया है। दिल्ली में 35 फीसदी की दर से बाल अपराध में वृद्धि है। नाबालिक दुष्कर्म, यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़, डकैती और चोरी में बालिग के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6.645 मामले सामने आए। इनमें केवल दिल्ली में 2,368 दर्ज हुए। दिल्ली में 51 नाबालिगों पर हत्या और 81 पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे। जबकि 143 नाबालिगों पर दुष्कर्म और 35 नाबालिगों के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले दर्ज हुए। सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले में बाल अपराधियों की संलिप्तता सामने आई। इसके अलावा छेड़छाड़ के 138 और यौन शौषण के 66 मामले भी नाबालिगों पर दर्ज किए गए हैं। डकैती की 370 और चौरी की 766 वारदात को नाबालिगों ने अंजाम दिया। भारत में बालकों के खिलाफ 2003 में जहाँ 33,320 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़कर 42,566 हो गए। इनमें सोलह से अठारह साल आयु के 31,364, बारह से सोलह साल की आयु के 10,534 और बारह साल से कम आयु के 668 बच्चे गिरफ्तार हुए थे। 2003 में किशोरी द्वारा बलात्कार के 535 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़कर 2,144 हो गए। किशोरों द्वारा अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी के बाद दिल्ली सरकार जघन्य अपराधों में सजा की न्यूनतम उम्र सीमा पंद्रह साल करने की मांग कर रही है, जबकि लोकसभा में किशारे न्याय संशोधन विधेयक 2014 पारित किया गया है। एन0सी0आर0बी0 के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए बलात्कारों की संख्या 2012 के मुकाबले 2014 में लगभग दोगुना हो गई। गौरतलब है कि भारत में 18 से कम उम्र का अपराधी नाबालिक माना जाता है और उनके खिलाफ आरोप की सुनवाई केवल 'जुवेनाइलजस्टिस बोर्ड' में होती है। सजा के नाम पर उन्हें अधिकतम तीन

साल बाल सुधार गष्ह में गुजारने की सजा सुनाई जाती है, जबकि बदलते परिवेश में किशोरों द्वारा लगातार गंभीर अपराध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिर्फ भारत में किशोरों को जघन्य अपराध करने के बावजूद गंभीर सजा नहीं मिल पाती है।

हालांकि, क्राइम ने अपने विश्लेषण में कहा है कि साल 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में गिरावट आई है। इसने कहा कि एन0सी0आर0बी0 का डाटा बताता है कि साल 2019 में ऐसे एक लाख 48 हजार 185 मामले दर्ज किए गए थे। इसका मतलब है कि 2019 में रोजाना बच्चों के खिलाफ 400 से अधिक आपराधिक घटनाएं हुईं। यह साल 2020 के मुकाबले 13.3 फीसदी अधिक है।

इस डाटा का एक राज्यवार विश्लेषण बताता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध में केवल पांच राज्यों में ही करीब आधी (49.3 फीसदी) घटनाएं हुईं। ये राज्य मध्यप्रदेश (13.2 फीसदी), उत्तर प्रदेश (11.8 फीसदी), महाराष्ट्र (11.1 फीसदी), पश्चिम बंगाल (7.9 फीसदी) और बिहार (5.1 फीसदी) हैं। 2019 की तुलना में शीर्ष पांच राज्यों में पश्चिमी बंगला ने दिल्ली का स्थान लिया है। यहां ऐसे मामले 63 फीसदी बढ़े हैं।

बाल अपराध के लक्षण एवं विशेषताऐं

बाल अपराध एक मनभावनात्मक व्यावहारिक विचलन है। इस क्षेत्र में अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर बाल अपराधियों के कुछ सामान्य लक्षय बतायें है।

1. बाल अपराधी की शारीरिक संरचना सामान्य गठीला शरीर शक्तिशाली तथा निडर होते हैं।
2. वे स्वभाव से बेचैन उग्र बर्हिमुखी तथा विघटनकारी होते है।
3. इनका व्यक्तित्व अनैतिक अत्याधिक संवेगशील, स्वार्थी तथा आत्मकेन्द्रित होते हैं।
4. अदूरदर्शी तथा अपराध के परिणाम से अनभिज्ञ रहते हैं।
5. बाल अपराधी प्रायः सामान्य बालकों की अपेक्षा मनोस्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं।

विशेषताएँ

1. बाल अपराधी आदतन उदण्ड तथा अज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले हाते हैं।
2. यह प्रायः राजकीय नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
3. इनकी संगीत आवारा, अनैतिक एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ होती है।
4. इनकी व्यवहार अनैतिक एवं अशोभनीय होती है।
5. यह बिना आज्ञा के निरूद्देश्य देर रात तक घर से बाहर घूमते रहते हैं।

बाल अपराध के प्रकार

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक संदर्भ होता है, कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बाल अपराध के निम्न प्रकार हैं–

1. वैयक्तिक बाल अपराध
2. समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध
3. संगठित बाल अपराध
4. परिस्थितिवश बाल उपराध

बाल अपराध के कारण

यहाँ पर किशोरापराध के कारणों को तीन वर्गों में विभाजित कर उनका अध्ययन किया गया है–

1. सामाजिक कारण

किशोरापराध के कारणों में से सबसे अधिक व्यापाक सामाजिक कारण है। इसमें मुख्य कारण है– 1. परिवार, 2. विद्यालय, 3. बुरी संगति, 4. मनोरंजन, 5. युद्ध, 6. स्थानान्तरण, 7. सामाजिक विघटन।

2. मनोवैज्ञानिक कारण

अब तक किशोरापराध के सामाजिक कारणों का वर्णन किया गया था। इस विषय पर अधिकतर खोज सांख्यिकी विधि के आधार पर की गई है। किशोरापराध के कारण की खोज करने की अन्य दो विधियां जीवनवृत्त विधि तथा मनोविश्लेषण विधि के आधार पर खोज से किशोरापराध के मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश पड़ा है। अपराध के संबंध में मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्त आइसलर ने विकसित किया है। अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में मुख्य कारण निम्नलिखित है– 1. मानसिक रोग, 2. बौद्धिक दुर्बलता, 3. व्यक्तित्व के लक्षण एवं 4. संवेगात्मक अस्थिरता।

3. आर्थिक कारण

आर्थिक कारण एवं बाल अपराधों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों में मतभेद है जार्ज बोल्ड तथा हीली का मत है कि अधिकांश दशाओं में आर्थिक परिस्थितियां बाल–अपचार का कारण होती है जबकि मैरिल ने अपनी पुस्तक 'दि प्रॉब्लम् ऑफ डेलिनक्वेन्सी' में यह सिद्ध किया है कि अधिकांश बाल अपचारी मध्यम तथा उच्च वर्ग के होते हुए भी अपचारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं परन्तु यदि भारतीय संदर्भों में देखा जाए तथा आर्थिक दशा और बाल उपचार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे– 1. निर्धनता, 2. भूखमरी, 3. बच्चों को नौकरी करना, 4. पारिवारिक संघर्ष।

भारतवर्ष में बाल अपराध एक सामाजिक समस्या के रूप में

भारत में बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। यह सामाजिक कोई नई नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है इतना अवश्य है कि पहले इसे गंभीर रूप में नहीं लिखा जाता था जबकि आज इस एक गंभीर समस्या के रूप में लिया जा रहा है। कानूनों का उल्लंघन चाहे वह वयस्क द्वारा किया गया हो या बालकों द्वारा एक राष्ट्रीय समस्या है। आज समाज गतिशील हो गया है। इस गतिशीलता के कारण समाज में असामंजस्य की स्थिति है, बालकों एवं बड़ों में आज विभिन्न परिवर्तनों तक कारणों से असामंजस्य की स्थिति देखने को मिल रही है परिवर्तन असन्तुलित रूप में हो रहा है इससे बालकों का मन मस्तिष्क इन परिवर्तनों से बुरी तरह प्रभावित है। आज बाल अपराधों के प्रति लोग जागरूक है। बाल अपराध कोई समस्या नहीं रह जाएगी यदि कारणों को ठीक से समझा जाएं एवं इसके लिए कारगर उपाय किये जाए। बाल अपराध के मूलभूत कारणों के पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन एवं अस्थिरता है। यह पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन एवं अस्थिरता तब उत्पन्न होती है जब परिवार एवं समाज में असामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में निवास करता है तथा अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज में ही करता है यह आवश्यक है कि समाज में सहयोग एवं शक्ति की भावना पाई जाएं। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है जो समाज की जड़ों को खोखला करने का काम करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समस्या का निदान ढूंढकर तथा सही प्रयत्न कर इसे समाज से किया जाए।

भारत में अपराध

भारत में बाल अपराध की समस्या एक विकराल समस्या है। अगर देश में भावी कर्णधार की आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाएं तो उस समाज एवं राष्ट्र की स्थिति क्या होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बाल–अपराध को पतपने से रोका जाए। आंकड़ें बताते है कि भारत में बाल–अपराध की समस्या एक गंभीर समस्या है। 1981 में भारत में बाल–अपराध का प्रतिशत कुल अपराध का 4.4 प्रतिशत था जो 1987 में घटकर 3.7 प्रतिशत हो गया है। लेकिन बाद के आँकड़ें बाल–अपराध के संबंध में अलग संकेत करते हैं। इसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि 1988 में बाल–अपराध का कुल अपरध के वर्गीकरण में अन्तर आया। 1988 में बाल–अपराध का कुल अपराध की दृष्टि से 1.7 था जो 1991 में 0.8 पाया गया। 1991 में सबसे अधिक बाल–अपराध महाराष्ट्र में हुआ। शहरों में मुम्बई बाल–अपराध की मात्रा में 1991 में सबसे आगे रहा। जहाँ तक लिंग के आधार पर बाल–अपराध का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि बाल–अपराध में लड़कियों को सहभागिता बढ़ती जा रही है। विभिन्न आँकड़ें से यह भी पता चलता है कि साक्षर या शिक्षित बालकों को तुलना में निरक्षर बालकों में बाल–अपराध अधिक पाया जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर बाल–अपराध के आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है निम्न आय वर्ग वाले बालकों में इसका प्रतिशत अधिक पाया जाता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि यद्यपि बालकों को अपराधों से मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयत्न किए जाते है लेकिन बाल–अपराधों की पुनरावृत्ति भी होती है अर्थात् सुधारात्मक प्रयत्नों के बावजूद बहुत से बाल–अपराधी दुबारा अपराध करते हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि यद्यपि हुई है, लेकिन इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सका है। आवश्यकता बाल–अपराध से भारत को मुक्त कराने की है।

जैसे–जैसे समाज में अपराधिकता बढ़ रही है वैसे–वैसे बच्चों द्वारा अपराध करने के मामलों में भी बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

सन् 2000 से पूर्व 16 वर्ष से कम आयु के पुरूषों और 18 वर्ष के कम आयु की युवतियों को बालक माना जाता है लेकिन सन् 2000 में किशोर न्याय अधिनियम– 1986 में संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं को 'बालक' माना जाने लगा। सन् 1998 से 2000 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज किये गये कुल अपराधों में से लगभग 0.5 प्रतिशत अपराध बच्चों द्वारा किए गए थे सन् 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गया तो सन् 2002 में 1 फीसदी अपराध, बच्चों द्वारा कारित किये गए। सन् 2002 और 2002 में यह आँकड़ा कमोबेश यही रहा बच्चों द्वारा अपराध कारित करने का प्रतिशत सन् 2006 में बढ़कर 1.1 हो गया जो सन् 2007 के अंत तक कार्य रहा। सन् 2008 में बच्चों द्वारा 1.2 प्रतिशत अपराधों को अंजाम दिया गया।

बच्चों द्वारा जो अपराध कारित किये गए थे उनके आरोपियों में बालिकाओं और बालकों का प्रतिशत सन् 2008 में 1: 20 था जबकि सन् 2007 में यह अनुपात 1:18 था। 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक बाल अपचारी मध्य प्रदेश में (278), महाराष्ट्र (244), और छत्तीसगढ़ (133) में थे जबकि 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक अपराधी मध्यप्रदेश (2416), महाराष्ट्र (2284), छत्तीसगढ़ (1355), राजस्थान (846), गुजरात (741) और आन्ध्रप्रदेश (630) थे।

16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सबसे अधिक बाल अपराधी महाराष्ट्र (4052), मध्यप्रदेश (3631), गुजरात (1350), राजस्थान (1315), बिहार (1065) और हरियाणा (1014) में पाए गए थे। सन् 2008 के दौरान कुल 34,507 बच्चे विभिन्न आरोपों में पुलि द्वारा गिरफ्त किये गए थे सन् 2008 के अंत तक लगभग 42 प्रतिशत बाल अपचारी अदालतों से सजा सुनने का इंतजार कर रहे थे। अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखण्ड में बाल अपचारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तो 17.5 फीसदी बाल अपचारियों को उनके अभिभावकों की देखरेख में छोड़ दिया गया इसी क्रम में 3.3 फीसदी बाल अपचारियों को विशेष संस्थाओं में भेजा गया, 16.7 प्रतिशत बाल अपचारियों को विशेष ग्रह भेजा गया और 3.9 प्रतिशत बाल अपराधियों को आर्थिक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।

निष्कर्ष

बाल अपराधियों को सुधारने में आज भारत भी प्रगतिशील देशों से पीछे नहीं है पर भारतीय समाज में कुछ अन्य समस्याएं जैसे अतिजनसंख्या, बेरोजगारी, भुखमरी आदि इतनी अधिक गम्भीर है कि उससे ही निपटना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन हो रहा है। यद्यपि ये सच है कि 16 से 18 साल की आयु समूह वाले बच्चों की संख्या जघन्य अपराधों में बढ़ रही है इसलिए संसद में संशोधन की बहस इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये कि हम समाज के रूप में एक न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं या प्रतिकार और सजा या एक ऐसी व्यवस्था जो किशोर अपराधियों के सुधार और समावेश के योग्य हो। राज्य के साथ ही समाज अपने बच्चों के लिए कुछ जिम्मेदारियां रखता है कि वो राह से न भटके और समाज का मुख्य पक्ष बने रहें। इस तरह किशोर न्याय में संशोधन करते समय देखभाल और सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।

संदर्भ

1. आहूजा, राम. (1997). सामाजिक समस्याएं. रावत पब्लिकेशन्सः जयपुर एवं नई दिल्ली. पृष्ठ **190.**
2. वाजपेयी, एल०बी०., वाजपेयी, अमिता. (2008). विशिष्ट बालक. भारत बुक सेन्टरः लखनऊ. पृष्ठ **207.**
3. नाटानी, नारायण प्रकाश., शर्मा, प्रज्ञा. (2000). भारत में सामाजिक समस्याएं. पॉइन्टर, पब्लिशर्सः जयपुर. पृष्ठ **72, 73.**
4. वही, पृष्ठ **75.**
5. वाजपेयी, एल०बी०., वाजपेयी, अमिता. (2008). विशिष्ट बालक. भारत बुक सेंटरः लखनऊ. पृष्ठ **223.**
6. पाण्डेय, गणेश. (2004). अपराध शास्त्र. राधा पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली. पृष्ठ **129.**
7. शर्मा, नरेन्द्र कुमार. (2011). अपराधशास्त्र. ओमेगा पबिलकेशन्सः नई दिल्ली. पृष्ठ **116.**
8. (2000). किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम।
9. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ., अग्रवाल, भगत. (2003). सामाजिक समस्याएं. विवेक प्रकाशनः दिल्ली।
10. महाजन, सजीव. (2011). सामाजिक समस्याएं. अर्जुन पब्लिशिंग हाउसः नई दिल्ली।
11. वर्मा, चंचल सिंह. (2011). बालकों की भावनाओं व व्यक्तित्व का अध्ययन. कल्पज पब्लिकेशन्सः दिल्ली।